

अनुदान संख्या 97 - इस्पात मंत्रालय
GRANT No. 97 - MINISTRY OF STEEL

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	47,00,00		
			57,72,00	46,03,80
पूरक	Supplementary	10,72,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			11,67,81

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान में, समग्र बचतें (₹1168.20 लाख) दिसम्बर, 2022 में प्राप्त ₹1072.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक थीं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 20 प्रतिशत थीं।

1. In the grant, the overall savings (₹1168.20 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹1072.00 lakhs obtained in December, 2022 and constituted 20 percent of the total sanctioned provision.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई :-

Savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head	(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"			
उद्योग	Industries			
मू.	O.	649.00		
पू.	S.	1072.00	907.31	907.30
पु.	R.	-813.69		-0.01

(I) एक शीर्ष के तहत ₹1.00 लाख का प्रावधान पूर्णतः अप्रयुक्त रहा।

(II) “इंजीनियरिंग उद्योग – परिवहन उपकरण उद्योग” – भारत में मर्चेण्ट शिप्स की फ्लैगिंग को बढ़ावा देने के लिए स्कीम” – पूरक अनुदान की प्राप्ति द्वारा ₹1072.00 लाख की निधियां प्रदान की गई जिसमें से तथापि स्कीम के तहत प्रतिपूर्ति के लिए कम बिलों की प्राप्ति के कारण ₹747.36 लाख की राशि अप्रयुक्त रही।

(I) Provision of ₹1.00 lakh remained wholly unutilised under one head.

(II) Under “Engineering Industries - Transport Equipment Industries - Scheme for promotion of flagging of merchant ships in India” - funds of ₹1072.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilized to the extent of ₹747.36 lakhs-due to receipt of less bills for reimbursement under the scheme.
